न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 52 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. चान्दाराम पुत्र नायकाराम उम्र 70 वर्ष
2. पेपी पुत्री नायकाराम पत्नी नायकाराम उम्र 65 वर्ष
3. लुणाराम पुत्र सगताराम उम्र 55 वर्ष
4. देदाराम पुत्र सगताराम उम्र 50 वर्ष
5. नेमाराम पुत्र राहूराम उम्र 46 वर्ष
6. आत्माराम पुत्र राहूराम उम्र 40 वर्ष
7. बाबू पुत्र राहूराम उम्र 38 वर्ष
8. धीराराम पुत्र राहूराम उम्र 36 वर्ष
9. सजनी पत्नी राहूराम उम्र 70 वर्ष
10. हंसाराम पुत्र जैसलाराम उम्र 40 वर्ष
11. गुमनाराम पुत्र जैसलाराम उम्र 35 वर्ष
12. खातु पत्नी जैसलाराम 70 वर्ष

जातियान मेघवाल निवासीयान हाथमा तहसील रामसर जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.अमराराम पुत्र पांचाराम उम्र 50 वर्ष
2.धुड़ाराम पुत्र पांचाराम उम्र 45 वर्ष
3.अर्जुनराम पुत्र सुखाराम उम्र 23 वर्ष
4.नरेश पुत्र सुखाराम उम्र 18 वर्ष
5.गंगा पत्नी सुखाराम उम्र 50 वर्ष
6.टाऊराम पुत्र जामाराम उम्र 60 वर्ष
7.धीरा पुत्र जामा उम्र 58 वर्ष
8.समेला पुत्र जामा उम्र 45 वर्ष
9.प्रभूराम पुत्र अनोपाराम उम्र 66 वर्ष
10.रूपाराम पुत्र अनोपाराम उम्र 64 वर्ष
11.धाराराम पुत्र मानाराम उम्र 32 वर्ष
12.उकेश पुत्र मानाराम उम्र 29 वर्ष
13.हऊवा पत्नी मानाराम उम्र 65 वर्ष जाति मेघवाल निवासी हाथमा तहसील रामसर।
14.भीखी पुत्री अनोपा पत्नी मेहराराम उम्र 68 वर्ष जाति मेघवाल निवासी मीठड़ा तहसील बाड़मेर।
15.जतना पुत्र अनोपा पत्नी प्रतापाराम उम्र 67 वर्ष जाति मेघवाल निवासी गडरारोड़ तहसील गडरारोड़।
16.अरजन पुत्र नाजूदेवी पुत्री अनोपाराम जाति मेघवाल निवासी गडरारोड़ तहसील गडरारोड़।
17.गेमराराम पुत्र ठाकराराम

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उम्र 35 वर्ष जाति मेघवाल
निवासी सियाणी तहसील
रामसर।
18.तहसीलदार रामसर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर रामसर के मूल राजस्व वाद संख्या 24/2013 बअनवान अमराराम वगैरा बनाम चांदाराम वगैरा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2017।

उपस्थिति

1. वकील श्री प्रेम प्रजापत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री गणेश कुमार रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 व 11 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 23.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 354/107 रकबा 56.16 बीघा व खसरा संख्या 357/107 रकबा 58.05 बीघा मौजा हाथमा पटवार क्षेत्र हाथमा तहसील रामसर में आया हुआ है जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 14 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 15 से 26 का 1/3 हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को जिरह हेतु अवसर नहीं दिया तथा न ही अपीलांट/प्रतिवादीगण को अपनी साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया तथा दिनांक 12.12.2015 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार रामसर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया, जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर अधीनस्थ कर्मचारियों से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कहा गया जिस पर बाहामी बंटवाड़े व कब्जा काश्त के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य विभाजन प्रस्ताव पर गौर किये बिना व अपीलांटगण से आपत्ति लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को जिरह हेतु अवसर नहीं दिया तथा न ही अपीलांट/प्रतिवादीगण को अपनी साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गया तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में बिना मौके पर आये गलत रूप से कब्जे के प्रतिकूल विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जिसके आधार पर आलोच्य निर्णय पारित किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है। और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया। जिसकी जानकारी अपीलांटगण को नहीं हो पाई। अरसा 10–15 दिन पूर्व उत्तरदातागण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर मौके पर सड़क के दोनों तरफ काबिज होने का प्रयास करने लगे। वादीगण ने धमकी दी कि हमने कोर्ट से फैसला करवा लिया है। अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर आलोच्य निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 01.06.2018 को प्राप्त की गई तब अपीलांटगण को सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार रामसर को 500 रू शुल्क तय कर कमिश्नर नियुक्त करते हुए बाई मीटस एण्ड बांउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये गए। पत्रावली में उपलब्ध मौका रिपोर्ट एवं नक्शा विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार रामसर के केवल प्रतिहस्ताक्षर है इस विभाजन प्रस्ताव कार्यवाही में, राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रामसर के मूल राजस्व वाद संख्या 24/2013 बअनवान अमराराम वगैरा बनाम चांदाराम वगैरा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2015 व 13.07.2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट पक्ष को जरिह का मौका दिया जाकर नये सिरे से पुनः प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर पुनः निर्णय पारित करे।

23/4/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/4/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner